रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062026-273376
CG-DL-E-12062026-273376

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2908]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2026/ज्येष्ठ 21, 1948
No. 2908]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2026/JYAISTHA 21, 1948

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2026

का.आ. 3006(अ).— जबकि राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की स्थापना दिनांक 29 अगस्त, 1997 रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संख्या 33/7/97 /-पीआई-I में भारत सरकार के संकल्प द्वारा हुई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बल्क औषधि और विनिर्मिति के मूल्यों को नियत करना और उसमें होने वाले बदलावों की अधिसूचना देना, यदि कोई हो तो, और गैर-अनुसूचित दवाओं और विनिर्मितियों के मूल्यों की निगरानी करना तथा औषधि (मूल्य निर्धारण), आदेश (डीपीसीओ) के प्रावधानों के कार्यान्वयन की देखरेख करना शामिल है;

2. और जबकि दिनांक 30 मई, 2013 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के का.आ 1394 (अ) के माध्यम से, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीपीसीओ, 2013, के विनिर्दिष्ट पैराग्राफ के संबंध में शक्तियां प्राप्त हैं जिसमें केंद्र सरकार की ओर से एनपीपीए द्वारा उक्त आदेश के पैराग्राफ 19 का प्रयोग किया जाना शामिल है;

3. और जबकि, एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत, दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की अधिसूचना का.आ. 5497(अ) द्वारा फार्मारैक आँकड़ों के आधार पर तथा डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 6 के अंतर्गत 17.10 प्रतिशत एकाधिकार कटौती लागू करते हुए बीसीजी वैक्सीन, मीज़ल्स रूबेला वैक्सीन तथा मीज़ल्स वैक्सीन की अधिकतम मूल्य अधिसूचित की थी;

4. और जबकि, मैसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त अधिसूचना के विरुद्ध डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 31 के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया कि जैविक उत्पादों/वैक्सीनों के लिए डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 6 के अंतर्गत समान उप-चिकित्सीय श्रेणी के अन्य वैक्सीनों के आधार पर औसत मूल्य कटौती लागू करने की पद्धति उपयुक्त नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वैक्सीन निर्माण प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, बाजार की परिस्थितियों तथा चिकित्सीय उपयोग की दृष्टि से भिन्न होती है;

5. और जबकि, औषधि विभाग, भारत सरकार ने इस मामले की जांच तथा आवेदक एवं एनपीपीए द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात पुनरीक्षण आदेश संख्या 31015/01/2025-Pricing (E-30166) दिनांक 07.04.2026 जारी किया तथा यह अवलोकित किया कि यद्यपि एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 में निर्धारित पद्धति का पालन किया था, तथापि संबंधित वैक्सीन सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इनके मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रहे हैं, नागरिकों पर इनका वित्तीय भार न्यूनतम है तथा इनका आपूर्ति एकमात्र निर्माता द्वारा अपेक्षाकृत कम मूल्य पर की जा रही है। तदनुसार, औषधि विभाग ने इस मामले को पुनर्विचार हेतु एनपीपीए को संदर्भित किया तथा निर्देश दिया कि एनएलईएम, 2015 के अंतर्गत बीसीजी वैक्सीन के मामले में अपनाए गए दृष्टांत के अनुसार, जिसमें एकाधिकार कटौती लागू नहीं की गई थी, मामले पर पुनर्विचार किया जाए;

6. और जबकि, एनपीपीए ने पूर्व में भी जनहित तथा बीसीजी वैक्सीन की निरंतर उपलब्धता एवं व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 19 का प्रयोग करते हुए, दिनांक 26 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना का.आ. 1769(अ) द्वारा एकाधिकार कटौती लागू किए बिना बीसीजी वैक्सीन का अधिकतम मूल्य संशोधित किया था तथा तत्पश्चात दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 की अधिसूचना का.आ. 4461(अ) द्वारा एकमुश्त मूल्य वृद्धि की अनुमति प्रदान की थी;

7. और जबकि, एनपीपीए ने दिनांक 11.06.2026 को आयोजित अपनी 279वीं (समग्र) एवं 147वीं प्राधिकरण बैठक में इस विषय पर विचार-विमर्श किया तथा यह निर्णय लिया कि आवेदक की शिकायत के निवारण एवं बाजार में औषधि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 19 के अंतर्गत एकाधिकार स्थिति के कारण की जाने वाली कटौती लागू किए बिना अधिकतम मूल्य निर्धारित/संशोधित किया जा सकता है;

8. अब, इसलिए, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 1394(अ), दिनांक 30 मई, 2013 एवं का.आ. 5249(अ), दिनांक 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित करते हुए, तथा तालिका के स्तंभ (8) में उल्लिखित भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के आदेश संख्या एवं दिनांक को अधिलेखित करते हुए, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट अनुसार वर्ष 2026 हेतु थोक मूल्य सूचकांक 0.64956% प्रभाव सहित मूल्य को, यदि कोई हो तो लागू वस्तु एवं सेवा कर को छोड़कर, उक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित अनुसूचित औषधि के संबंध में तथा उसके समक्ष क्रमशः स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट खुराक रूप, प्रबलता एवं इकाई के लिए अधिकतम मूल्य के रूप में निर्धारित/संशोधित करता है:

सारणी

क्र. स.	दवाइयाँ	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.) एनएलईएम 2022 के अंतर्गत	पुनर्विलोकन आदेश और 0.64956% डब्ल्यूपीआई के अनुसार संशोधित अधिकतम मूल्य (रुपये में)	पुनर्विलोकन आदेश सं. एवं तारीख	मौजूदा का. आ. सं. एवं तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बीसीजी वैक्सीन	लाइसेंस अनुसार	प्रत्येक डोज (0.10 मि.ली.)	8.20	9.89	31015/01/2025-Pricing (E-30166) दिनांक 07.04.2026	1575(अ) दिनांक 25.03.2026 (क्र.सं. 92)
2.	मीज़ल्स रूबेला वैक्सीन	लाइसेंस अनुसार	प्रत्येक वायल (0.5 मि.ली.)	72.90	87.93	31015/01/2025-Pricing (E-30166) दिनांक 07.04.2026	1575(अ) दिनांक 25.03.2026 (क्र.सं. 472)
3.	मीज़ल्स वैक्सीन	लाइसेंस अनुसार	प्रत्येक वायल (0.5 मि.ली.)	51.40	62.00	31015/01/2025-Pricing (E-30166) दिनांक 07.04.2026	1575(अ) दिनांक 25.03.2026 (क्र.सं. 473)

नोट:

(क) अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के सभी निर्माता, जो ब्रांडेड या जेनेरिक या अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के दोनों रूपों को सरकार द्वारा इस प्रकार निर्धारित और अधिसूचित अधिकतम मूल्य (वस्तु और सेवा कर के साथ) से अधिक कीमत पर बेच रहे हैं, ऐसे सभी फॉर्मूलेशनों की कीमतों को इस प्रकार संशोधित करेंगे जो उपरोक्त सारणी में कॉलम (6) में निर्दिष्ट अधिकतम मूल्य (वस्तु और सेवा कर अलग से, यदि कोई हो) से अधिक नहीं होंगे।

(ख) निर्माता वस्तु एवं सेवा कर तभी जोड़ सकते हैं जब यह उपरोक्त सारणी के कॉलम (6) में उल्लिखित अधिकतम मूल्य पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया हो या देय हो।

(ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म - V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें तथा उसकी कॉपी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।

(घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सुस्पष्ट भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को प्रदर्शित करेगा।

(ङ) उपर्युक्त सारणी में यथा विनिर्दिष्ट खुदरा या प्रबलता या दोनों के साथ अनुसूचित विनिर्मिति का कोई मौजूदा विनिर्माता औषध मूल्य नियंत्रण आदेष, 2013 के पैराग्राफ 2 (1) (यू) के अनुसार कोई नई औषधि को लांच करता है तो ऐसे मौजूदा विनिर्माता की औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 की अनुसूची- II के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट फार्म- I में एनपीपीए को ऐसी नई औषधि के पूर्व मूल्य अनुमोदन हेतु आवेदन करना होगा।

(च) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माता उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अनुसूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कोई निर्माता उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों का उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो वह इसके सम्बन्ध में के उत्पादन और आयात को बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले अनुसूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।

(छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणामस्वरुप, अधिकतम या खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश यदि कोई हो, जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, उनका स्वतः ही अधिक्रमण हो जाएगा।

[पीएन /279/147/2026/एफ / फा. सं. 8(147)/2026/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

भीवा राम यादव, सहायक निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(Department of Pharmaceuticals)
(NATIONAL PHARMACEUTICALS PRICING AUTHORITY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2026

S.O. 3006(E).— Whereas the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) was established vide the Resolution of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No. 33/7/97-PI.I dated 29th August, 1997, inter-alia, to fix prices and notify the changes therein, if any, of bulk drugs and formulations, monitor the prices of non-scheduled drugs and formulations and oversee the implementation of the provisions of the Drugs (Price Control) Order (DPCO);

2. And whereas, the Ministry of Chemicals and Fertilizers vide S.O.1394 (E) dated the 30th May, 2013, in exercise of the powers conferred by Section 3 and 5 of Essential Commodities Act, 1955 has delegated the powers in respect of specified paragraphs of the DPCO, 2013, including paragraph 19 of the said Order to be exercised by the NPPA on behalf of the Central Government;

3. And whereas, NPPA had fixed the ceiling prices of BCG Vaccine, Measles Rubella Vaccine and Measles Vaccine vide notification S.O. 5497(E) dated 19th December, 2024 under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 based on the Pharmarack data after applying monopoly reduction of 17.10% under Paragraph 6 of DPCO, 2013;

4. And whereas M/s Serum Institute of India Private Limited filed a Review Application under paragraph 31 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 against the aforesaid notification stating that that the methodology of applying average price reduction under Paragraph 6 of DPCO, 2013 based on other vaccines in the same sub-therapeutic category is inappropriate for biologicals/vaccines, as each vaccine is distinct in terms of manufacturing process, technology, market dynamics and therapeutic use;

5. And whereas the Department of Pharmaceuticals, Government of India, after examination of the matter and considering the submissions of the applicant and NPPA, issued Review Order No. 31015/01/2025-Pricing

(E-30166) dated 07.04.2026 and observed that while NPPA had followed the methodology prescribed under the Drugs (Prices Control) Order, 2013, the vaccines in question are of critical public health significance, have shown relatively stable price trends, impose minimal financial burden on citizens and are supplied by a single manufacturer at relatively low prices. Accordingly, the Department of Pharmaceuticals, referred back the matter to NPPA for reconsideration in accordance with the precedent adopted in the case of BCG Vaccine under NLEM, 2015, wherein monopoly reduction was not considered;

6. And whereas NPPA had earlier, in public interest and to ensure continued availability and viability of BCG Vaccine, invoked paragraph 19 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 and revised the ceiling price of BCG Vaccine without applying monopoly reduction vide notification S.O. 1769(E) dated 26th April, 2018 and subsequently allowed a one-time increase vide notification S.O. 4461(E) dated 13th December, 2019;

7. And whereas the NPPA in its 279th (Overall) and 147th Authority meeting held on 11.06.2026, deliberated on the matter and decided that ceiling price may be fixed/revised under paragraph 19 of the DPCO 2013 without applying reduction under monopolistic condition to address the grievance of the applicant as well as to ensure sufficient availability of the drug in the market;

8. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by paragraph 19 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S.O. 5249(E) dated the 11th November, 2022 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Pharmaceuticals, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) S.O. No. and date specified in the Column (8) of the table, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes/revises the price including WPI impact @0.64956% for the year 2026 as specified in column (6) of the table herein below as ceiling price exclusive of Goods and Services Tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the dosage form & strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	**Medicines**	**Dosage form & Strength**	**Unit**	**Ceiling Price under NLEM, 2022 (Rs.)**	**Revised Ceiling price based on Review Order & considering WPI @0.64956% (Rs.)**	**Review Order number and date**	**Existing SO number and date**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**
1.	BCG Vaccine	As licensed	Each dose (0.10 ML)	8.20	9.89	31015/01/2025 – Pricing (E-30166) dated 07.04.2026	1575(E) dated 25.03.2026 (Sl. No. 92)
2.	Measles Rubella Vaccine	As licensed	Each Vial (0.5ml)	72.90	87.93	31015/01/2025 – Pricing (E-30166) dated 07.04.2026	1575(E) dated 25.03.2026 (Sl. No. 472)
3.	Measles Vaccine	As licensed	Each Vial (0.5ml)	51.40	62.00	31015/01/2025 – Pricing (E-30166) dated 07.04.2026	1575(E) dated 25.03.2026 (Sl. No. 473)

Note:

(a) All manufacturers of scheduled formulations, selling the branded or generic or both the versions of scheduled formulations at a price higher than the ceiling price (plus Goods and Services Tax as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (6) in the above table plus Goods and Services Tax as applicable, if any.

(b) The manufacturers may add Goods and Services Tax only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (6) of the above said table.

(c) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (6) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form–V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.

(d) As per paragraph 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.

(e) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2(1)(u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.

(f) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.

(g) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.

(h) Consequent to the issue of ceiling prices of such formulations as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/279/147/2026/F / F. No. 8(147)/2026/D.P./NPPA-Div.-II]

BHIVA RAM YADAV, Assistant Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA